संख्या-231/2026/39-4-2026/001-10-16-2006TC

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक मार्च, 2026

विषय: - उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर, अयोध्या के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र संख्या-स0अ0/बी-184/2021 दिनांक 12.06.2024 एवं पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-184/2021 दिनांक 16.04.2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर, अयोध्या के कार्यालय निर्माण हेतु जनपद अयोध्या में चिन्हित नजूल भूमि गाटा सं0- 33 मि0, 34 मि0, 35 मि0, 36 मि0 क्षेत्रफल-1350 वर्गमीटर की भूमि के क्रय हेतु कुल लागत रुपये 64,80,000/- (रु0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-82 हेतु लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण के अन्तर्गत 0306-सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या के लिए मानक मद संख्या-60-भूमि क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 63,00,000/- (रु0 तिरसठ लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।

(2) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2026/185/8-4099/61/2025 दिनांक 11.03.2026 द्वारा निर्धारित

शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) समस्त वित्तीय नियमों, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान उत्तरदायी होगा।

(4) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(5) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(6) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे

(7) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, अयोध्या के डिपोजिट खाते में रखी जायेगी। निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर ही वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(8) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि की जिलाधिकारी, अयोध्या के डिपोजिट खाते में रखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तिम दिवस तक (31.03.2026) स्वीकृत धनराशि का उपयोग न होने पर धनराशि समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 63,00,000 (रुपये तिरेसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 4059010510306 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-712-X-2025-26, दिनांक: 29.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Digitally signed by
RAJ KUMAR SINGH
Date: 30-03-2026
11:58:17

संख्या-231(1)/2026/39-4-2026/001-10-16-2006TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/महालेखाकार(आडिट) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, अयोध्या।
(3) कोषाधिकारी, अयोध्या।
(4) सम्बन्धित वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
(5) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या सेक्टर, अयोध्या।
(6) पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर, अयोध्या।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
(10) आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।